स्मरण पत्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023–24/ दिनांक :

समस्त वनाधिकारीगण

विषय :– आईएफएमएस 3.0 के अन्तर्गत जून, 2023 से सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत दिवस को ही पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध करवाने बाबत्।

संदर्भ :–निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.5(328)निपेवि/नियम/ई–मॉड्यूल/2023/3548–एच दिनांक 08.01.2024 एवं पत्रांक 3611–एच दिनांक 05.02.2024 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 10750–770 दिनांक 18.03.2024 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं निदेशक पेंशन विभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत करवाया गया है कि कार्यालयाध्यक्षों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2023 के अनुरूप कर्मचारी से संबंधित समस्त डाटा को सिस्टम पर अद्यतन नहीं रखने के कारण ऑटो प्रोसेस के माध्यम से निर्धारित हुए कतिपय पेंशन प्रकरणों में निम्नांकित त्रुटियां रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. सिस्टम पर गलत Date of Birth अंकित होने के कारण कार्मिक की वास्ततिक सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिकृतियां जारी हो गई।
2. गलत Date of Retirement सिस्टम पर अंकित होने के कारण कार्मिक की सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिकृतियां जारी होकर राशि उसके बैंक खाते में जमा हो गई।
3. सिस्टम पर कार्मिक की गलत Date of Joining अंकित होने तथा विभागीय जांच बकाया होने के कारण पेंशन व ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान हो गया।
4. अधिक पेंशन योग्य सेवा अवधि के कारण पेंशन व ग्रेच्युटी की अधिक राशि कार्मिक के बैंक खाते में हस्तांतरित हो गई।

उपरोक्तानुसार त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस कार्यालय के यू.ओ.नोट क्रमांक 8463 दिनांक 31.01.2024 मय सूची के नोडल अधिकारी आईएफएमएस 3.0 द्वारा राजस्थान फोरेस्ट ओफीसर्स वॅाटसअप ग्रुप पर दिनांक 05.02.2024 को पोस्ट करते हुये एवं इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 18.03.2024 के द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों से संदर्भित पत्र की अनुपालना चाही गई थी जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि आगामी माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का डेटा सिस्टम पर अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करावें एवं विगत माहों में आपके विभाग के ऑटोप्रोसेस से निस्तारित पेंशन प्रकरणों (पूर्व में संलग्न सूची) की जांच कर अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी कार्यालयाध्यक्ष तथा अन्य कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर **संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 22.05.2024 तक नोडल अधिकारी आईएफएमएस 3.0 को पालना से अवगत करावें,** जिससे वित्त विभाग को अवगत करवाया जा सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(निधि मेहता)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ 22( )लेखा/ई.पेंशन/प्रमुवसं/2023–24/ 1223-26 दिनांक : 17.5.24

प्रतिलिपिः– निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
2. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मुख्यालय) एवं नोडल अधिकारी आईएफएमएस 3.0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अनुपालना निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रगति से अवगत करावे।
3. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर।

प्रपत्र

आई एफएमएस 3.0 पर ऑटोप्रोसेस से निस्तारित पेंशन प्रकरणों के अधिक/अनियमित भुगतान की सूचना

क्र. सं.	नाम कार्मिक	सेवानिवृति दिनांक	अधिक भुगतान का विवरण	अधिक/अनियमित भुगतान का विवरण			अधिक/अनियमित भुगतान का कारण	अधिक/अनियमित भुगतान की वसूली का विवरण			अधिक/अनियमित वसूली की जमा का विवरण	आगामी माह में सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों का डेटा सिस्टम पर अद्यतन कर दिया गया अथवा नही (हाँ/नहीं)	अधिक/अनियमित भुगतान के लिये उत्तरदायी कार्मिक के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
				पेंशन	ग्रेच्युटी	अन्य		पेंशन	ग्रेच्युटी	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14